प्रतिलिपि आदेश दि 15-11-14

न्यायालय परगनाधिकारी, दातागंज।

केस सं0 05 धारा 143 एल0आर0एक्ट0

नाम ढिलवारी परग0–सलेमपुर

अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा प्रसार समिति बनाम सलेमपुर

15–11–14

पत्रावली पेश हुई पुकार । पत्रावली का विधिवत अध्ययन किया गया जिसमें प्रार्थना पत्र दिनॉक 7–8–14 के अन्तर्गत श्री रामपाल सिंह द्वारा 8एम,9एम,10 कुल लम्बाई 1.099 हे0 या 10990 वर्ग मी0 स्थित ग्राम ढिलवारी परगना सलेमपुर तहसील दातागंज जिला बदायूँ अकृषक घोषित करते हुए कॉनशियल करने की प्रार्थना की है। उक्त की जॉच तहसीलदार दातागंज से करायी गयी जिसने आख्या दिनॉक 3–11–14 को उपलब्ध करायी जिसका अध्ययन करने पर निम्न आदेश किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि भूमि गाटा 8 मि0/0.159,9 मि0/0.305,10/0.635 स्थित ग्राम ढिलवारी रामपाल सिंह सत्यवती देवी मैमोरियल महाविद्यालय के नाम जो प्रश्नगत भूमि में कृषि नही हो रही है और न ही मतस्य पालन, कुक्कुट पालन किया जा रहा है ऐसी दशा में उक्त भूमि को आवादी घोषित किया जाता है।पत्रावली वाद अमल दरामद दाखिल दफ्तर हो।

15/11/14

परगनाधिकारी,
दातागंज।
15–11–14

31.8.15

परगनाधिकारी/कलेक्टर
दातागंज

8.9(2)
31.8.15
31.8.15
12.00
128
अभिलाषा दीक्षित

200

Scanned with OKEN Scanner